न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः— 31 / 2020

दायर दिनांकः— 21 / 07 / 2020

निर्णय दिनांकः—08 / 09 / 2020

अनवान

1.युगेश पिता रामचन्द्र जाति ब्रहमण निवासी कुरज तहसील रेलमगरा ।

वादी

बनाम

1. श्याम सुन्दर पिता रामेश्वर लाल जाति ब्रहमण निवासी सागर एनक्लेव विधामवन रोड उदयपुर
2. जगदीश चन्द्र पिता रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी महावीर कालोनी हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर
3. सुरेशचन्द्र पिता रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी गणपति विहार पानेरीयो की मादडी उदयपुर
4. महेशचन्द्र पिता रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी नई हवेली चौक नाथद्वारा तहसील – नाथद्वारा
5. सरजुबाई विधवा राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी कुरज तहसील – रेलमगरा
6. शांताबाई विधवा दुर्गाशंकर जाति ब्राहमण निवासी कुरज तहसील रेलमगरा
7. हरिओम पिता दुर्गाशंकर जाति ब्राहमण निवासी कुरज तहसील रेलमगरा
8. राधवरानी पुत्री दुर्गाशंकर पत्नि प्रेम जी जाति ब्राहमण निवासी कुरज हाल निवासी मादडी
9. लादुलाल पिता मांगीलाल जाति लुहार निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
10. प्रहलाद कुमार पिता मांगीलाल जाति लुहार निवासी कुरज तहसील रेलमगरा
11. अम्बालाल पिता मांगीलाल जाति लुहार निवासी कुरज तहसील रेलमगरा
12. रामेश्वरलाल पिता पन्नालाल जाति ब्राहमण निवासी माउ तहसील रेलमगरा
13. आई.सी.आई.सी.आई बैंक जरिये बैंक मैनेजर शाखा कुरज तहसील रेलमगरा
14. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा विभाजन के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम कुरज तहसील क्षैत्र रेलमगरा में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 12 के संयुक्त खाते की खाता संख्या 690 की खसरा सख्या 815 रकबा 14 विस्वा, खसरा सख्या 816 रकबा 15 विस्वा कुल किता रकबा 01 बीघा 09 विस्वा कृषि भूमियॉ अकिंत है। ग्राम कुरज (कालामाना) में वादी के आधिपत्य एवं स्वामित्व शुदा निम्न कृषि भूमिया खाता सख्या 740 की खसरा संख्या 2543 रकबा 01 बीघा 10 विस्वा, ख.स. 2544 रकबा 01 बिघा 17 विस्वा, ख.सं. 3567 रकबा 02 बिघा 09 विस्वा, ख.सं. 3568 रकबा 03 बिघा 15 विस्वा, ख.सं. 3569 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा ख.सं. 3571 रकबा 02 बीघा कुल किता 06 कुल रकबा 14 बिघा 01 विस्वा स्थित है। वादपत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 12 का 1/2 हिस्सा अंकित है एवं इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी की होने से वादी उक्त कृषि भूमियों का स्वतंत्र उपयोग – उपभोग नहीं कर पा रहा है। वादपत्र की कंलम सख्या 02 में वर्णित कृषि भूमियों का वर्ष 1954 से वादी ही उपयोग – उपभोग करता चला आ रहा है एवं इस तथ्य की प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 11 की खुली जानकारी है क्योंकि वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भुमी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 11 के बिच पारिवारीक सेटलमेन्ट दिनांक 28.05.1954 में निष्पादित किया गया तब से उनके सभी भाईयों ने मिलकर बंटवाडा निष्पादित कर दिया तब से उसी बंटवाडे के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादपत्र की कलम सख्या 02 में वर्णित कृषि भूमी वादी के पिता स्व. रामचन्द्र के हिस्से में रखा गई जिससे रामचन्द्र के जीवनकाल में निरन्तर, निर्विघ्न वे वही उपयोग–उपभोग करता चला आ रहे थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी उपयोग – उपभोग करता चला आ रहा है जिससे वादी उक्त कृषि भूमियों की अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से घोषणा कराने का अधिकारी है क्योंकि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सख्या 01 से लगातार 11 तक का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होने से उक्त कृषि भूमियों का स्वंतत्र रूप से उपयोग – उपभोग नहीं कर पा रहा है। स्वर्गीय कमलाशंकर जी ने प्रतिवादी सख्या 09 से लगायत 11 के पुर्वज मांगीलाल लुहार को उनके हिस्से की कृषि भूमी विकय की थी जिसमें वादी के पुर्वज रामचन्द्र जी का भी हिस्सा था किन्तु कमलाशंकर जी ने अपने हिस्से की जमीन विकय की जिससे हिस्सेनुसार उनका नाम वादपत्र की कलंम सख्या 02 में वर्णित कृषि भूमी में ही उनका नाम अंकित हो गया अन्यथा उक्त कृषि भूमियों में प्रतिवादी सख्या 01 से लगायत 11 तक में से न तो उनका एवं न ही उनके पुर्वजों का कभी कब्जा एवं अधिपत्य ही रहा अर्थात वादी के पुर्वज एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 तक के पुर्वज के द्वारा जो पारिवारीक समझौता पत्र निष्पादित किया गया उसी अनुरूप कृषि भूमियों का आपस में बंटवाडा कर उपयोग – उपभोग , निरन्तर ,निर्विघ्न सबकी खुली जानकारी में चला आ रहा है।दुर्गाशंकर पिता भैरूलाल की दिनांक 17.08.2019 को मृत्यु हो चुकी है किन्तु उनका नामान्तरणकरण

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

निर्णित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 06, 07, 08 जो स्वर्गीय दुर्गाशंकर जी के विधिक वारिसान है उन्है पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सख्या 13 बैंक होने से एवं प्रतिवादी सख्या 10 व 11 के द्वारा ऋण लेने से उनके हिस्से की समस्त कृषि भूमियों में नाम अंकित हो जाने से उनको पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी सख्या 14 राजस्थान सरकार होने से तथा वाद में विभाजन की सहायता चाही जाने से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादी प्रतिवादी संख्या 12 को वाद पत्र की कलम संख्या 01, में वर्णित कृर्षि भूमी के विभाजन बाबत् एवं वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमियों को उसके नाम पर कराने हेतु प्रतिवादी सख्या 01 से लगायत 11 को कहा तो उनके द्वारा दिनांक 20/01/2020 को इंकार कर देने से वादपत्र का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यहकि वादपत्र की कलम सख्या 01 में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 12 का संयुक्त नाम होने से एवं वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृर्षि भूमियों में अन्य प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 11 का नाम अंकित होने से वादी की लगान इत्यादि जमा कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है एवं वादी अपनी कृषि भूमियों का सही उपयोग– उपभोग नहीं कर सकता जिससे उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्ध वादपत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा का विभाजन किया जाकर तदअनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर स्वंतत्र आधिपत्य दिलाने की विभाजन की डिक्री प्रदान की जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 11 के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावेंकि वादपत्र की कलम सख्या 02 में वर्णित कृर्षि भूमी पारिवारीक सेटलमेन्ट के आधार पर वादी के नाम पर खातेदारी हक से घौषित की जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर प्रतिवादी सख्या 01 से 12 कि ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो स्वीकारात्मक जवाब दावा पेश किया । प्रतिवादी सख्या 13 व 14 के विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गई । तथा अधिवक्ता वादी द्वारा ग्राम कुरज के आराजी सख्या 815 व 816 के सम्बन्ध में विभाजन कि सहायता नहीं चाही गई । दावा इस हद तक विड्रा किया गया। पक्षकारान ने उपस्थित हो राजीनामा प्रस्तुत किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित कर आपस में राजीनामा कर लिया ताकि उनके सम्बन्ध भविष्य में अच्छे बने रह सके जिससे ग्राम कुरज की आराजी सख्या 2543 व 2544 प्रतिवादी संख्या 09 से 11 के हिस्से में रखी जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज की जावें एवं आराजी सख्या 3567, 3568, 3571 वादी के हिस्से में रखी जाकर तदअनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित की जाने में हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आराजी सख्या 2543 व 2544 में प्रतिवादी सख्या 09 से 11 तक का कब्जा एवं आराजी सख्या 3567, 3568,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

3569 ,3571 में वादी का कब्जा चला आ रहा है। आराजी सख्या 2543 व 2544 प्रतिवादी सख्यां 09 से 11 तक के प्रथक से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाकर शेष वादी एवं प्रतिवादीयों का नाम विलोपित किया जावें एवं आराजी सख्या 3567, 3568, 3569 व 3571 में वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर शेष प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावें।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर आराजी सख्या 2543 व 2544 प्रतिवादी सख्या 01 से 11 तक के प्रथृक से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाकर शेष वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावें एवं आराजी सख्या 3567, 3568, 3569 व 3571 में वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर शेष प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावें । इसमें पक्षकारान सहमत है।

उक्त राजीनामा बाद तस्दीक स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं विभाजन का आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज कि आराजी सख्या 2543 व 2544 प्रतिवादी सख्या 01 से 11 तक के प्रथृक से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाकर शेष वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावें एवं आराजी सख्या 3567, 3568, 3569 व 3571 में वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर शेष प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावें। रहन यथावत् रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांकः– 08/09/2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा